न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मारसिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 30/2020

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. अल्फुखां पुत्र मेमद खां के कायम मुकाम 1/1 आयचुकी पत्नी अल्फुखां 1/2 बिछुडी पुत्री अल्फुखां 1/3 कमली पुत्री अल्फुखां 1/4 रुकसाना पुत्री अल्फुखां 1/5 मोडी पुत्री अल्फुखां 1/6 खैरून पुत्री अल्फुखां 1/7 रफीक पुत्र अल्फुखां 2. मिसरूखां पुत्र मेमद खां 3. बाबुखां पुत्र मेमद खां तमाम जातियान मुसलमान निवासीगण नयागांव तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान		1. चन्द्राराम पुत्र विरमराम 2. सुजाराम पुत्र विरमराम 3. पप्पुराम पुत्र विरमराम 4. कालूराम पुत्र विरमराम के कायम मुकाम 4/1 मैना पत्नी कालूराम 4/2 ज्योति पुत्री कालूराम 4/3 पूजा पुत्री कालूराम 4/4 उमेश पुत्र कालूराम 4/5 निकिता पुत्री कालूराम (अप्राथी संख्या 4/3 से 4/5 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती मैनादेवी पत्नी कालूराम) जातियान मेहतर 5. शिवलाल पुत्र विरमराम 6. राजूराम पुत्र विरमराम जातियान मेहतर निवासीगण नयागांव तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. **श्री सोहनलाल गौराणा अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।**
2. **श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं0 1 से 6 उपस्थित।**

दिनांक :– 16/07/2025

–: निर्णय :–

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम नयागांव पटवार हल्का नयागांव तहसील सोजत के प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 80 रकबा 1.9700 है0 में पंहुच हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 79 रकबा 0.6600 है0 मे से आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी हैं। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो सरहद मौजा नयागांव के खसरा नंबर 79 में से दिलाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 से 6 को पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरुवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/रीडर/2024/1800 दिनांक 05.12.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 चौपड़ा, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि प्रार्थीगण द्वारा ख.नं. 80 में जाने हेतु ख0नं0 79 में से 4 मीटर चौडा रास्ता चाहा गया है, जो प्रार्थी के खेत से ख0नं0 61 किस्म गै0मु0 पाल से जुड़ता है, वर्तमान में पाल पर रास्ता विद्यमान है। ख0नं0 79 के वर्तमान खातेदार उमेश पुत्र कालूराम हि0 1/30, चन्द्राराम पुत्र विरमराम हि0 1/6, ज्योत्सना पुत्री कालूराम हि0 1/30, निकिता पुत्री कालूराम हि0 1/30, पूजा पुत्री कालूराम हि0 1/30, पपूराम पुत्र विरमराम हि0 1/6, मैना देवी पत्नी कालूराम हि0 1/30, राजूराम पुत्र विरमराम हि0 1/6, शिवलाल पुत्र विरमराम हि0 1/6, सुजाराम पुत्र विरमराम हि0 1/6 जाति हरीजन हैं। प्रस्तावित रास्ता एबीसीडी की ल0 50 मी0 तथा चौ0 4 मी0 हैं। जिसकी डी0एल0सी0 कीमत 138000/— फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 79 में से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत चौपड़ा की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा ग्राम नयागांव के खसरा नम्बर 80 कृषि भूमि में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नंबर 79 में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 79 में से रास्ता चाहा गया है, जबकि अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि किसी भी रेकर्डेड रास्ते के साथ लगती हुई नहीं है, जिससे प्रार्थी को रास्ता दिया जाना संभव नहीं हैं। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रा0पत्र पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है.।'' चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 79 में से 20 फीट चौड़ा रास्ता अपनी खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 80 तक पंहुच हेतु चाहा गया है, तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ख.नं. 79 के समीप ख.नं. 61 किस्म गै0मु0 पाल स्थित हैं अर्थात् प्रार्थित रास्ता किसी भी रेकर्डेड रास्ता से नहीं जुड़ता हैं। जिस कारण ख.नं. 79 में रास्ता दिया जाना संभव नहीं हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण नहीं करता हैं। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 16/07/2025 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर, सोजत